



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक—जविप्रा/उपा./जोन-14/2024/डी-39

दिनांक 12-1-24

न्यू पाथ डवलपर्स एल.एल.पी.

पंजीकृत कार्यालय— 508, ओके प्लस टॉवर,

के.वी.-5 के पास, मानसरोवर, जयपुर, राज.।

विषय:— निजी खातेदारी की योजना रियारात ईको पार्क, ग्राम बासड़ी जोगियान तह. माधोराजपुरा एवं ग्राम भाटेड़ तह. सांगानेर में 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त कर अनुमोदित मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम भाटेड़, तह. सांगानेर के ख. नं. 948 से 951, 952/1, 952/2, 953 से 957, 959, 966 से 972, 973/1660, 983, 984 एवं ग्राम बासड़ी जोगियान तह. माधोराजपुरा के ख.नं. 269, 1175/271, 1181/1177, 270 (पार्ट) कुल किता 26 कुल रकबा 10.00 हैक्ट. भूमि में "रियारात ईको पार्क" आवासीय योजना में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखे गये भूखण्डों को विकास कार्य पूर्ण कर रहन मुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इस क्रम में लेख है कि उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर जविप्रा में रहन रखे गये सम्पूर्ण 12.50 प्रतिशत भूखण्डों को रहन मुक्त कर रहन मुक्ति का अंकन अनुमोदित मानचित्र में कर दिया गया है। अतः अनुमोदित मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

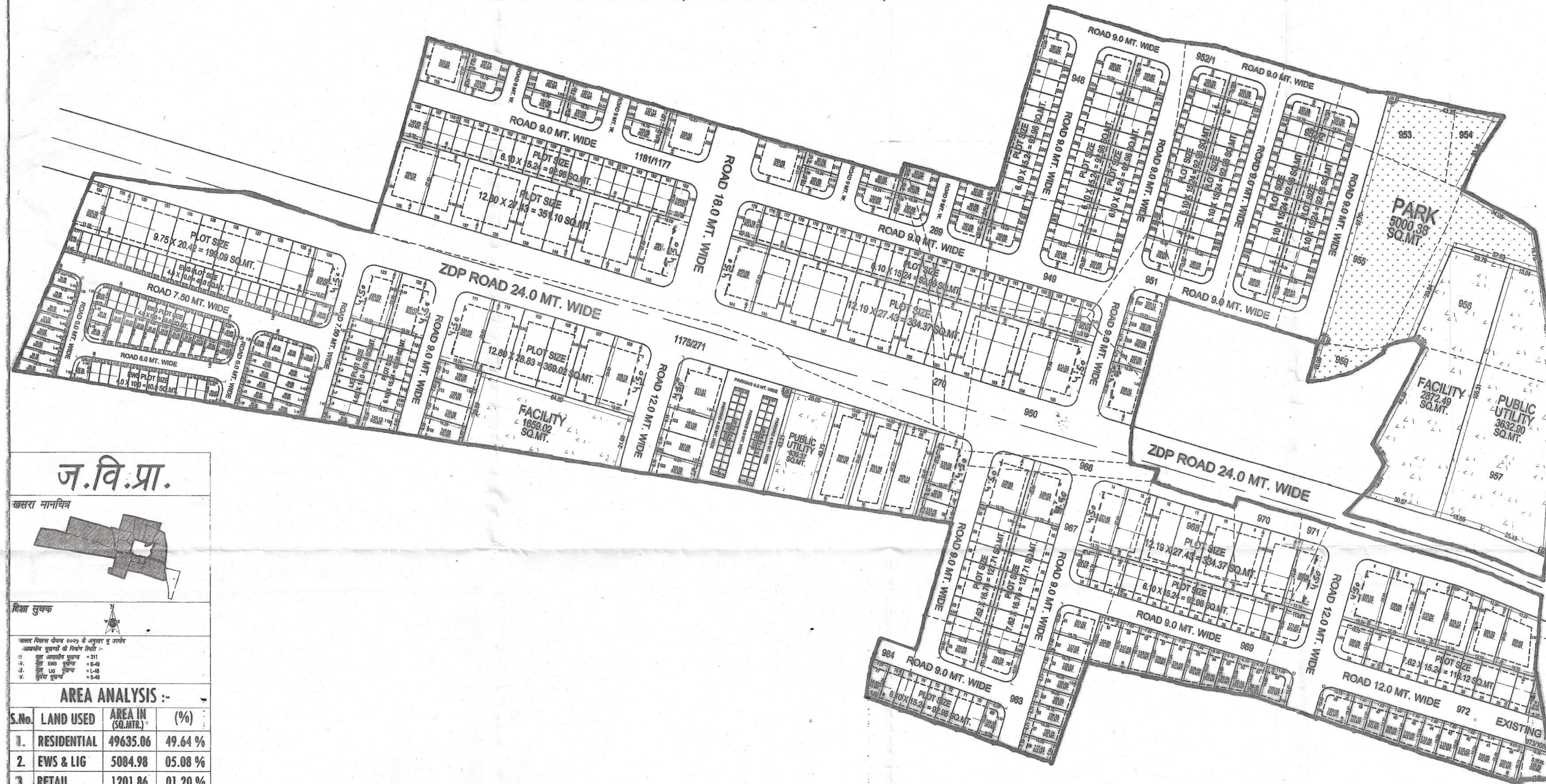
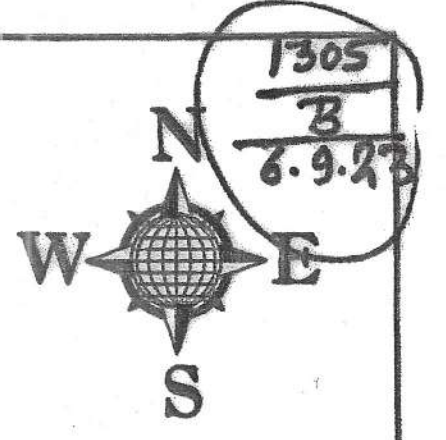
उपाध्यक्ष, जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

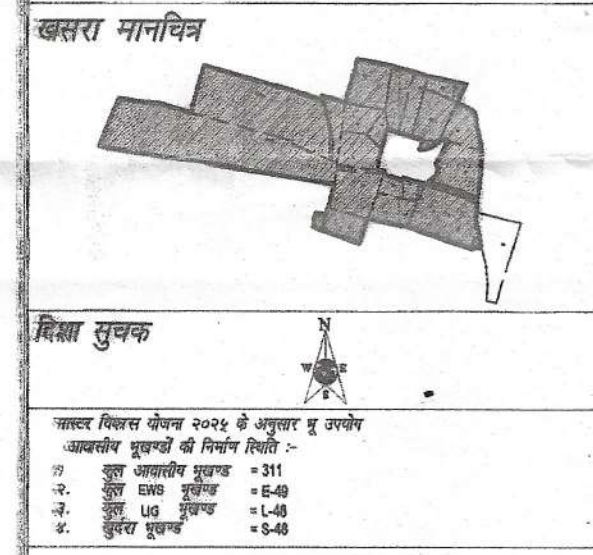
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail: dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

PROPOSED LAY OUT PLAN OF "RIYASAT ECO PARK"

IN KHASRA NO.- 948 TO 951, 952/1, 952/2, 953 TO 957, 959, 966 TO 972, 973/1660, 983, 984.
AT VILLAGE :- BHATED, TEH.- SANGANER, JAIPUR.
IN KHASRA NO.- 269, 1175/271, 1181/1177, PART OF 270.
AT VILLAGE :- BASDI JOGIYAN, TEH.- MADHORAJPURA, JAIPUR.



ज.वि.प्रा.



AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MT.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	49635.06	49.64 %
2.	EDS & LIG	5084.98	05.08 %
3.	RETAIL	1201.86	01.20 %
TOTAL = 1+2+3		55921.90	55.92 %
4.	PARK	5000.38	05.00 %
5.	FACILITY	4531.51	4.53 %
6.	PUBLIC UTILITY	4472.28	4.47 %
7.	ZDP ROAD	11057.11	11.06 %
8.	S.W.M.	158.38	0.16 %
9.	P.U. (TOILET)	10.02	0.01 %
10.	MOBILE TOWER	97.93	0.10 %
11.	ROAD	18750.49	18.75 %
TOTAL = 4 TO 11		44078.10	44.08 %
SCHEME AREA		100000.00	100.00 %
		10.00 HECT.	

योजना की पूरी की योजना, अधिनियम की धारा 90 ए की कार्रवाई एवं नीचे पर भूमि का प्रयोजन में देखा गया है। योजना की पूरी की योजना में विस्तार से देखा है।

योजना का नाम :- PROPOSED LAY OUT PLAN OF "RIYASAT ECO PARK"
IN KHASRA NO.- 948 TO 951, 952/1, 952/2, 953 TO 957, 959, 966 TO 972, 973/1660, 983, 984.
AT VILLAGE :- BHATED, TEH.- SANGANER, JAIPUR.
IN KHASRA NO.- 269, 1175/271, 1181/1177, PART OF 270.
AT VILLAGE :- BASDI JOGIYAN, TEH.- MADHORAJPURA, JAIPUR.

नोट:-

- राजस्व ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर एवं ग्राम बासडी जोगियान तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर के कुल किता 26 रकबा 10.00 हेक्टर, भूमि की 90ए आदेश संख्या LU2012/JDA/2023-24/102615 दिनांक 13.07.2023 को की गई है जिसकी प्रति 101/सी पर संलग्न है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं नीचे पर प्रमाणिकरण तहसीलद्वारा द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा द्वारा 78/सी के अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डवलपमेंट प्लान प्लानिंग जोन-15 के अनुसार भू-उपयोग U-2 HIZ दर्शित है।
- योजना रियासत ईको पार्क का अनुमोदन बीपीसी (एचपी) की 339वीं बैठक दिनांक 19.07.2023 में किया गया है। जिसकी अनुमति में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- प्रस्तावित योजना को पहुँचमार्ग हेतु 12.00 मीटर सड़क जमिनी स्वामित्व के खसरा नं. 973 राजस्व ग्राम भाटेड की भूमि से प्राप्त होती है। जिसकी विकासकर्ता से नियमानुसार राशि ली गयी है।
- योजना के मध्य में स्थित जमिनी स्वामित्व की भूमि ग्राम बासडी जोगियान तह. माधोराजपुरा के ख.नं. 270 रकबा 0.2023 हेक्टर, किसन गै.मु. रास्ता में से 900.00 वर्ग मी. भूमि का आवंटन राजस्थान टारनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों अनुसार विकासकर्ता को किया गया है।
- योजना में फुटकर व्यावसायिक के प्रावधान नववि के आदेश दिनांक 20.02.2023 के अनुसार देय होंगे।
- योजना मानचित्र टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के मुख्यमंडों पर फेसमीटर्स जमिनी विनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।
- आंतरिक विकास शुल्क की एवज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न मुख्यमंड रहन रखे जाते हैं:-
मू.सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 68 कुल मुख्यमंड 31 कुल क्षेत्रफल 6726.20 वर्गमीटर

नोट:-

उक्त योजना में आंतरिक विकास कार्य की एवज में रहन रखे 12.50 % क्षेत्रफल के समस्त मुख्यमंडों को पैरा 71/N से 74/N पर उपयुक्त मंडोडय की स्वीकृति से रहन मुक्त किया जाता है।

महोदय 21/11/23
D. T. P.
(ZONE-14)
D.C.
(ZONE-14)

अ.प.प. (ZONE-14)
A.T.P. (ZONE-14)
T.D.R. (ZONE-14)
D.C. (ZONE-14)
A.C.T.P.
B.P.C.(L.P.)

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
303, Third Floor, Prime Tower,
Front of Police Head Quarters,
1st Main Road, Jaipur,
Rajasthan. Pin. 302005